

## आपके अधिकार

### Your Rights

आपको परित्याग, दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण और लापरवाही से मुक्त होने का अधिकार है। यदि ऐसा मानने का कोई कारण है कि आपने परित्याग, दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण या लापरवाही का अनुभव किया है, तो आपको इन बातों का अधिकार है:

1. डिपार्टमेन्ट ऑफ सोशल एंड हेल्थ सर्विसिज़ (DSHS) और कानून प्रवर्तन (पुलिस) को रिपोर्ट करके ऐसी कोई भी जानकारी साझा करने का, जो आपको लगता हो कि जांच से संबंधित हो सकती है, और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों की पहचान करने का, जिनके पास, आपको लगता हो, कि संबंधित जानकारी हो सकती है।
2. परित्याग, दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण, अथवा लापरवाही की रिपोर्ट करने या करवाने की वजह से प्रतिशोध का शिकार होने से बचने का।
3. आपसे सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाने का और आपसे सम्मानपूर्ण भाषा में बात किये जाने का।
4. रिपोर्ट करते समय, जाँच के दौरान और प्रशासनिक कार्रवाइयों के दौरान आपकी अक्षमता के लिए वाजिब अनुकूलन का।
5. ऐसे आदेश की माँग करने का जो कि आपका त्याग करने वाले, आप से दुर्व्यवहार करने वाले, आपका आर्थिक शोषण करने वाले, या आपसे लापरवाही बरतने वाले किसी भी व्यक्ति को आपके घरमें रहने, आपसे संपर्क करने, या आपके धन या संपत्ति का उपयोग करने से निषिद्ध करे।
6. DSHS से वकालत करने, जांच करने या कार्रवाई करने में सक्षम हों ऐसी अन्य एजेन्सियों संबंधी जानकारी और उनके लिए उपयुक्त रेफेरल प्राप्त करने का।
7. ऐसा मामला, जिसमें आप पीड़ित व्यक्ति हों, उसकी जांच, उससे संबंधित कार्रवाइयों और उनके परिणामों के बारे में उसका प्रबंधन कर रही एजेन्सी से जानकारी प्राप्त करने का।
8. सुरक्षा योजना बनाने, जांचों में, और सुनवाइयों में वकालत या कानूनी सहायता के लिए रेफेरल की माँग करने का।
9. जांचों या कार्रवाइयों के बारे में DSHS से औपचारिक या अनौपचारिक शिकायत करने का, और तुरंत उत्तर प्राप्त करने का।

दुर्व्यवहार, परित्याग, लापरवाही, स्वयं संबंधी लापरवाही या आर्थिक शोषण की रिपोर्ट करने के लिए, या जानकारी प्राप्त करने के लिए, इस नंबर पर कॉल करें:

**1-866-EndHarm (1-866-363-4276)**

**वाँइस/टीटीवाय से पहुँचने लायक 1-800-737-7931**

कर्मचारी आपको स्थानीय एपीएस इन्टेक कार्यालय में ट्रांसफर करेंगे जहाँ आप रिपोर्ट कर पायेंगे या अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

स्थानीय संपर्क जानकारी: